IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वर्त्तमान संदर्भ में महिला सशक्तिकरण : नीतियाँ एवं कार्यान्वयन

[1]लीला कुमारी एवं [2]डॉ0 लता कादम्बिनी

[1]शोधछात्रा, गृह विज्ञान विभाग, बी0 आर0 ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

[2]सहायक प्राध्यापिका, गृह विज्ञान विभाग, वैशाली महिला कॉलेज, हाजीपुर (वैशाली)।

शोध सारांश : वर्तमान अध्ययन भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण योजनाएँ एवं कार्यक्रम पर आधारित है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार ने कई योजनाएँ और कार्यक्रम लागू किए हैं, जैसे कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'महिला स्वयं सहायता समूह', और 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना'। ये योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। फिर भी, समाज के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के प्रति भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ता है। सामाजिक स्तर पर, महिलाओं को अक्सर पारंपरिक भूमिकाओं में सीमित रखा जाता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रभावित होती है। राजनीतिक भागीदारी में भी महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है, जिससे उनके अधिकारों और हितों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। आर्थिक भागीदारी में, महिलाओं को समान वेतन और अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है। कई क्षेत्रों में लड़कियों को शिक्षा के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाती, जिससे उनकी शिक्षा का स्तर पुरुषों की तुलना में कम होता है। यह स्थिति उनके भविष्य के विकास और सशक्तिकरण में बाधा डालती है। प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता भी महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई महिलाएँ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच नहीं बना पातीं, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रजनन अधिकार प्रभावित होते हैं। इसके अलावा, बलात्कार, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दे महिलाओं के लिए एक स्थायी खतरा बने हुए हैं। ये समस्याएँ न केवल महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसलिए, महिलाओं को अपनी सुरक्षा, गरिमा और पवित्रता बनाए रखने के लिए सशक्तिकरण की आवश्यकता है। इसके लिए, समाज में जागरूकता फैलाना, शिक्षा के अवसर बढ़ाना, और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें सभी स्तरों पर सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी : महिला सशक्तिकरण, उत्पीड़न भारत सरकार, योजनाएँ, क्रियान्वयन, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वाथ्य।

प्रस्तावना –

महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं की स्थिति को सुधारना नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और अधिकारों को सुनिश्चित करती है। यह एक ऐसा आंदोलन है जो महिलाओं को उनके अधिकारों, स्वतंत्रता और अवसरों के प्रति जागरूक करता है, ताकि वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें और अपने भविष्य को आकार दे सकें। महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह महिलाओं को उनके व्यक्तित्व और सामर्थ्य को पहचानने और विकसित करने में मदद करता है। जब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं, तो वे न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार और समुदाय के लिए भी सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। यह प्रक्रिया महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके आत्म–सम्मान को बढ़ाने और उन्हें समाज में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है।

भारत में, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि ये प्रयास सभी महिलाओं तक पहुँचें, एक चुनौती है। भौगोलिक स्थिति, शैक्षिक स्तर, सामाजिक स्थिति और आयु जैसे कारक महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक मान्यताएँ और सामाजिक संरचनाएँ अक्सर महिलाओं की प्रगति में बाधा डालती हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर, लिंग आधारित हिंसा और राजनीतिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच, शिक्षा के अवसर, और आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाती हैं और शिक्षा प्राप्त करती हैं, तो वे अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होती हैं।

महिला सशक्तिकरण का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनाता है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं और समाज में हिंसा और भेदभाव के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। इसके साथ ही, राजनीतिक भागीदारी भी महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भारत की विकास यात्रा महिलाओं के सशक्तिकरण से गहराई से जुड़ी हुई है। इस महत्वपूर्ण संबंध को पहचानते हुए, केंद्रीय सरकार ने पिछले नौ वर्षों में नारी शक्ति को अपने एजेंडे के केंद्र में रखा है। सरकार यह समझती है कि महिलाओं का सशक्तिकरण एक बार का समाधान नहीं है; इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो उनके जीवन के विभिन्न चरणों में उनकी आवश्यकताओं को संबोधित करे। इस संदर्भ में, कल्याणकारी कार्यक्रमों को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि वे महिलाओं को विभिन्न चरणों में समर्थन प्रदान करें, जिससे वे सामाजिक–आर्थिक बाधाओं को पार कर सकें और समग्र सशक्तिकरण प्राप्त कर सकें। भारत सरकार ने अनेकों महत्वपूर्ण इस दिशा में उठाए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख निम्न है –

महिला शक्ति अधिनियम 2023 :

महिला शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 का पारित होना न केवल एक कानूनी उपलब्धि है, बल्कि यह भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इस अधिनियम के तहत, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक तिहाई आरक्षित करने का प्रयास किया गया है। यह कदम न केवल महिलाओं की

राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देगा, बल्कि समाज में उनके अधिकारों और स्थान को भी मजबूती प्रदान करेगा।

इस अधिनियम का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यह न केवल महिलाओं के लिए अवसरों का द्वार खोलेगा, बल्कि यह समाज में लैंगिक समानता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। जब महिलाएं राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेंगी, तो यह न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए लाभकारी होगा। इससे न केवल नीतियों में महिलाओं की आवाज़ शामिल होगी, बल्कि यह उनके मुद्दों और चिंताओं को भी प्राथमिकता देने में मदद करेगा। महिला आरक्षण विधेयक को नए संसद भवन में पहली बार विचार के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसने भारत के अमृत काल के लिए एक नई दिशा निर्धारित की। नए संसद भवन का उद्घाटन एक प्रतीकात्मक महत्व रखता है, जो भारत की प्रगति और विकास की दिशा में एक नया अध्याय खोलता है। यह स्थान न केवल नीतियों का निर्माण करेगा, बल्कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक मंच भी बनेगा। इस अधिनियम के माध्यम से, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम न केवल महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद का संचार करेगा, बल्कि यह समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार, महिला शक्ति अधिनियम का पारित होना न केवल एक कानूनी प्रक्रिया है, बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक भी है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और समान समाज की नींव रखेगा।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ : सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना एक प्रमुख पहल है, जिसने लिंग भेदभाव के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता उत्पन्न की है और लड़की के बच्चे के मूल्य को बढ़ावा दिया है। इस योजना ने हर स्तर पर समुदाय की भागीदारी के माध्यम से लड़की के बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मेहनत की है। जन्म के समय लिंग चयन के खिलाफ प्रचार करते हुए और उनकी शैक्षणिक प्रगति का समर्थन करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हुए, बीबीबीपी ने सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद की है। वर्षों के दौरान, जन्म के समय लिंग अनुपात में सराहनीय सुधार हुआ है, जो 918 (2014–15) से बढ़कर 937 (2020–21) हो गया है। इसके अतिरिक्त, माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 2014–15 में 75.51 प्रतिशत से बढ़कर 2020–21 में 79.46 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। इसके अलावा, देश में पहली बार, कुल जनसंख्या का लिंग अनुपात (1000 पुरुषों पर महिलाएं) 1020 तक पहुँच गया है (एनएफएचएस–5, 2019–21)।

मातृत्व का उत्सव

भारत को कुपोषण–मुक्त बनाने के प्रयास में, सरकार ने 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत की। यह मिशन विभिन्न हितधारकों के लिए एक समन्वय मंच है, जो कुपोषण के मुद्दे को समग्र रूप से संबोधित करता है। पोषण ट्रैकर की सहायता से, एक मजबूत आईसीटी–सक्षम मंच के माध्यम से, पूरक पोषण की वास्तविक समय में निगरानी और सेवाओं का त्वरित पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है। 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ियों की भागीदारी और लगभग 10 करोड़ लाभार्थियों का कवरेज इस पहल के माध्यम से प्राप्त प्रभाव के पैमाने को दर्शाता है।

भुगतान की जाने वाली मातृत्व छुट्टी को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधन भारतीय सरकार द्वारा कार्यरत माताओं के लिए बेहतर समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारित किया गया। यह महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन नए माताओं को प्रसव से ठीक होने, अपने शिशुओं के साथ बंधन बनाने और उनकी समग्र भलाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय देने के महत्व को मान्यता देता है।

आजीविका : प्रधानमंत्री आवास योजना –

ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास और वित्तीय निर्णय लेने के महत्व को पहचानते हुए, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) की शुरुआत की। आश्चर्यजनक रूप से, इन घरों में से 72 प्रतिशत से अधिक या तो पूरी तरह से या संयुक्त रूप से महिलाओं के नाम पर हैं। महिलाओं को घरों का स्वामित्व देकर, PMAY-G ने उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया है और उन्हें घरेलू निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) मई 2016 में शुरू की गई। यह पहल ग्रामीण और वंचित households को स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन (एलपीजी) प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। PMUY के तहत 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शनों का वितरण लाखों महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा है, जिससे वे पारंपरिक जैविक ईंधनों जैसे लकड़ी, सूखे गोबर आदि के उपयोग से होने वाले खतरों से मुक्त हो गई हैं और इसके परिणामस्वरूप होने वाले इनडोर वायु प्रदूषण से भी काफी राहत पहुँचेगी।

स्वच्छ भारत मिशन

महिलाओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू स्वच्छता तक पहुंच है। महिलाओं को अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं के कारण जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें समझते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य देश के सभी घरों में शौचालय प्रदान करना था, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार हो सके। और 2 अक्टूबर 2019 को, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित SDG–6 लक्ष्य से 11 वर्ष पहले, ग्रामीण भारत खुले में शौच से मुक्त (ODF) हो गया। "ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए शौचालयों तक पहुंच और उनकी सुरक्षा, सुविधा और आत्म–सम्मान" शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, शौचालयों के निर्माण के बाद, 93 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे अब जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने, स्वास्थ्य संक्रमणों का शिकार होने और रात के अंधेरे में शौचालय जाने से डरती नहीं हैं। स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता और नियमित उपयोग ने महिलाओं की भलाई और गरिमा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो भारत के एक स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र की ओर बढ़ने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

महिलाओं का सशक्तिकरण आर्थिक सशक्तिकरण पर निर्भर करता है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो वे न केवल अपने परिवारों के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसी कारण सरकार ने महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए

कई महत्वपूर्ण पहलों को लागू किया है, जैसे कि स्टैंड–अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)।

स्टैंड–अप इंडिया योजना का उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के बीच ग्रीनफील्ड उद्यमों की स्थापना के लिए समर्थन प्रदान करना है। यह योजना उन महिलाओं को प्रोत्साहित करती है जो अपने व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। इस योजना के तहत, महिलाओं को ऋण और अन्य संसाधनों की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने उद्यम को सफलतापूर्वक स्थापित कर सकें।

इसी प्रकार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) का लक्ष्य गैर–निगमित, गैर–कृषि सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। पीएमएमवाई के तहत लगभग 69प्रतिशत ऋण महिलाओं उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति गंभीर है।

स्टैंड–अप इंडिया के तहत 84 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं, जो यह दर्शाता है कि महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। यह न केवल उनके लिए आर्थिक अवसर पैदा करता है, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति को भी मजबूत करता है।

इसके अलावा, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र को संघीय बजट 2023–24 के हिस्से के रूप में पेश किया गया है, जो केवल महिला निवेशकों के लिए एक छोटी बचत योजना है। यह योजना महिलाओं को बचत करने और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे वे अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकें। इन पहलों ने महिलाओं को अपने रास्ते तय करने और राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में योगदान करने में सक्षम बनाया है।

सुकन्या समृद्धि खाता

इस योजना की शुरुआत जनवरी 2015 में हुई थी। सरकार का उद्देश्य न केवल अधिक से अधिक बालिकाओं को सुरक्षित करना है, बल्कि उन्हें एक बेहतर और आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर धर्म में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, फिर भी समाज उन्हें शिक्षा देने के बजाय विवाह के लिए अधिक प्रेरित करता है। इस योजना का मुख्य फोकस परिवारों को अपनी बेटियों की शिक्षा और विवाह के खर्च में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बचत योजना के तहत माता–पिता या संरक्षक किसी भी बैंक या डाकघर में न्यूनतम राशि के साथ अपनी बेटी के नाम पर एक विशेष खाता खोल सकते हैं। इसके बाद, खाता खोलने की तिथि से 14 वर्षों तक हर साल किसी भी राशि की जमा की जा सकती है। जमा की गई राशि 21 वर्ष की आयु के बाद परिपक्व होगी। जमा राशि पर आयकर की धारा 80सी के तहत कटौती का लाभ भी मिलता है।

सुरक्षा और संरक्षा

मिशन शक्ति सरकार का एक और महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह मिशन लिंग पूर्वाग्रह, भेदभाव और महिलाओं पर पड़ने वाले देखभाल के बोझ को दूर करने के लिए कौशल विकास, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता और सूक्ष्म ऋण तक पहुंच के माध्यम से कार्य करता है। एकल खिड़की केंद्रों (ओएससी) के तहत पुलिस, चिकित्सा और कानूनी सहायता, परामर्श, और मनो–सामाजिक समर्थन जैसी एकीकृत सेवाएं

महिलाओं को हिंसा से प्रभावित होने पर समग्र सहायता प्रदान करती हैं। एक टोल–फ्री महिला हेल्पलाइन (181) भी आपातकालीन और गैर–आपातकालीन सहायता प्रदान करती है। मिशन शक्ति ने महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जिसमें वे फल–फूल सकें और समाज में सक्रिय रूप से योगदान कर सकें।

तीन तलाक का उन्मूलन

मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को भारत में 19 सितंबर, 2018 को लागू किया गया। यह अधिनियम तात्कालिक तलाक, जिसे तीन तलाक के नाम से जाना जाता है, को तीन बार कहे जाने पर अमान्य और अवैध घोषित करता है। यह उन पतियों पर दंड लगाता है, जो तात्कालिक तीन तलाक की प्रथा में संलग्न होते हैं, जिसमें तीन साल तक की जेल और जुर्माना शामिल है। तीन तलाक कानून को लागू करके, भारतीय सरकार ने उन मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा, जो कई दशकों से इस प्रतिगामी प्रथा का शिकार हो रही थीं। इस महत्वपूर्ण सुधार ने मुस्लिम महिलाओं की समग्र स्थिति में सुधार किया है, जिससे उन्हें घरेलू हिंसा और समाज में पूर्व में सहन की गई भेदभाव से मुक्ति मिली है।

महिला विकास से महिला–नेतृत्व वाले विकास

एक दशक से अधिक समय में, सरकार के प्रयासों ने महिलाओं के सशक्तिकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, और महिला एथलीटों ने अपनी अद्वितीय उपलब्धियों के साथ देश को गौरवान्वित किया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्रों में महिलाओं का नामांकन भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।

सरकार ने महिलाओं को कल्याण की प्राप्तकर्ता के रूप में देखने के बजाय सशक्तिकरण के एजेंट के रूप में प्रस्तुत करके भारतीय महिलाओं के जीवन में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त की है। लिंग भेदभाव को संबोधित करने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उद्यमिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तक, इन पहलों ने महिलाओं के जीवन में ठोस सुधार लाए हैं और राष्ट्र की समग्र प्रगति में योगदान दिया है। आज, यह केवल महिलाओं के विकास की बात नहीं है, बल्कि महिलाओं द्वारा संचालित विकास की बात है।

निष्कर्ष:

अध्ययन के परिणामों से यह स्पष्ट हुआ है कि वर्तमान समय में भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची है। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और कई नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने के प्रयास किए गए हैं। फिर भी, समाज में व्याप्त पारंपरिक सोच और लैंगिक भेदभाव के कारण महिलाएं अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। सरकार को ऐसे उपायों को लागू करने की आवश्यकता है जो महिलाओं के अधिकारों और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हों। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके कौशल विकास को बढ़ावा देने से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार से महिलाओं की जीवन गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

महिलाओं के सशक्तिकरण से न केवल लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा, बल्कि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति के संतुलन को भी स्थापित करेगा। जब महिलाएं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेंगी, तो यह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए लाभकारी होगा। यह संतुलन समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब सभी वर्गों की आवाज सुनी जाती है, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक समावेशी और प्रभावी होती है। महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है। समाज के सभी वर्गों को यह समझना होगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए आवश्यक है। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तो वे अपने परिवारों और समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होंगी, जिससे समाज का समग्र विकास होगा।

संदर्भ सूची –

[1] भारत में महिलाओं से संबंधित सांख्यिकी (2014) : निष्पसिड, नई दिल्ली।

[2] द्विवेदी रमेश प्रसाद (2013) : महिला सशक्तिकरण : चिन्तन एवं सरोकार, शांति प्रकाशन, अहमदाबाद।

[3] एस. अखिलेश व शुक्ला संध्या (2016): महिलाओं का विकास एवं सशक्तिकरण, गायत्री पब्लिकेशन, रीवा।

[4] सिंह निशांत स्त्री सशक्तिकरण एक मूल्यांकन, खुशी पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ –17।

[5] श्रीवास्तव मनोज पंचायती राज के जरिए राजनीतिक रूप से सशक्त हुई महिलाऐं कुरूक्षेत्र सितंबर वर्ष 57, 2011, अंक–11 पृष्ठ –13।

[6] यादव चन्द्रभन बालिका शिक्षा से ही होगा देश का विकास कुरूक्षेत्र वर्ष 57, 2011, अंक 11, पृष्ठ 24।

[7] राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

[8] https://www.rojgarsamachar.gov.in/NewRS/MoreContentNew.aspx?n=Editorial&k=30157

[9] https://www.mahilahousingtrust.org/the-significance-of-women-empowerment- in-india/